

16.01.2025 - पत्रावली आज वादी अधिवक्ता श्री लालचन्द वर्मा के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य रजिनामा हो गया है। वादी अपने वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता इसलिए उक्त वादपत्र इसी स्तर पर विद्वा करना चाहते हैं। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर अनुठा/हस्ताक्षर कस्वाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री लालचन्द वर्मा द्वारा कि गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र मौजूदा सूत्र में विद्वा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

*दिने*  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
लुधियाना

